न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

रिव्यू प्रार्थना–पत्र सं. : 07/2016

प्रार्थीगण

1. मेघराज पुत्र श्री पन्नालाल
2. रामचन्द्र पुत्र श्री पन्नालाल
3. किशोरीलाल पुत्र श्री पन्नालाल
4. रामप्रसाद पुत्र श्री पन्नालाल
5. सांगीदान पुत्र श्री पन्नालाल सभी जातियान पालीवाल ब्राहमण निवासीयान ग्राम बारना तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थी

सरपंच, सचिव ग्राम पंचायत बारनाउ पंचायत समिति सेखाला तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. रेड विथ धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

– – –

उपस्थिति :

1. प्रार्थीण की ओर से वकील श्री भरत बूब उपस्थित ।
2. अप्रार्थी की ओर से श्री रूघाराम चौधरी उपस्थित ।

:–: आ दे श :–: दिनांक : 20.11.2017

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी अभिभाषक ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में ग्राम पंचायत बारनाउ की मासिक बैठक में लिये गये संकल्प संख्या 3 दिनांक 21.10.2015 के विरूद्व पंचायत निगरानी संख्या 28/2016 मेघराज बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बारनाउ प्रस्तु की थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2016 को निर्णित करते हुए यह आदेश पारित किया कि वक्त बहस के दौरान न्यायालय ने प्रार्थीगण से यह पुछा कि आप लोग वर्तमान में कहॉ पर रहते हो, तब प्रार्थीगण ने बताया कि हम गांव की ढाणियों में सपरिवार रहते है और इस आबादी भूमि पर पुश्तैनी कब्जा या अन्य कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है, तो वे न्यायालय में पेश करे। लेकिन अप्रार्थीगण ने बताया कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है वर्तमान में प्रार्थीगण का ग्राम की आबादी भूमि पर जो निर्माण किया गया है वह ग्राम का मुख्य मार्ग होना बताया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत बारनाउ द्वारा पारित सकल्प संख्या 3 दिनांक 21.10.2015 को यथावत रखा जाता है। यदि प्रार्थीगण का पुश्तैनी मकान है तो वह नियमानुसार ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन

पत्र प्रस्तुत कर पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः प्रस्तुत पंचायत निगरानी एतद्व खारिज की जाती है।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि कानूनी तौर पर न्यायालय द्वारा किसी भी निगरानी प्रकरण में पक्षकार के बयान रिकार्ड करके उसका निर्णय नहीं करना था। माननीय न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत बारनाउ द्वारा पारित संकल्प संख्या 3 दिनांक 21.10.2015 की कानूनी वैद्यानिकता को देखा जाना था परन्तु माननीय न्यायालय ने ऐसा नहीं करके जिस रूप में निगरानी को निर्णित किया है वह आदेश कानूनी सम्मत नहीं है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि माननीय न्यायालय हाजा द्वारा निगरानी याचिका को दिनांक 26.02.2016 को दर्ज करने का आदेश पारित किया था वह प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश भी जारी किया था, इस स्थगन आदेश में माननननीय न्यायालय में स्पष्ट तौर पर अंकित किया कि पत्रावली का अध्ययन करने पर पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 165 की पूर्ण पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय हाजा प्रथम दृष्टयता इस बात के लिए संतुष्ट हो गये थे कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व जो बेखदली की कार्यवाही की जा रही है वह नियमानुसार नहीं है। इसके बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा नियम 165 के प्रावधानों पर किसी प्रकार की कोई फाईडिंग दिये बिना निगरानी को निर्णित की है जो गलत है। जिसको सुधार किया जाना कानून एवं न्याय संगत होगा।

प्रार्थी अभिभाषक का यह भी कथन है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.02.2016 को आदेश पारित किया था कि ग्राम पंचायत बारनाउ द्वारा पारित संकल्प संख्या 3 बाबत् सम्पूर्ण रेकर्ड तलब किया जावे। लेकिन न्यायालय द्वारा ऐसा रेकर्ड तलब किये जाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की और न ही ऐसा रेकर्ड पत्रावली पर उपलब्ध था। ऐसी स्थिति में निगरानी जिस प्रकार से निर्णित किया गया है उसके लिए पत्रावली पर जो उपलब्ध कानूनी प्रावधान थे उसको अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया है जो पूर्ण रूप से गलत है।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री रूघाराम चौधरी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र वास्तविक तथ्य से परे जाकर रिव्यु प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है जबकि न्यायालय हाजा ने वक्त केम्प कोर्ट के दौरान प्रार्थीगण से मजमे आम में पुछताछ की और तब प्रार्थीगण ने स्वंय यह स्वीकार किया कि वह वर्तमान में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर निवास न कर ग्राम की ढाणियों

में सपरिवार निवास करते है। हमारे द्वारा ग्राम पंचायत भूमि पर जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह हमारी पुश्तैनी कब्जाशुद भूमि है। माननीय न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट निर्देश दिये है कि अप्रार्थीगण के पास इस आबदी भूमि पर पुश्तैनी कब्जा या अन्य कोई दस्तावेज है तो वह ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पट्टा हासिल करे लेकिन प्रार्थीगण ने आज दिनांक तक ग्राम पंचायत के पास पट्टा प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

हमनें उभय पक्ष अभिभाषगण द्वारा बहस पर मनन किया एवम प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, इसके साथ ही न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित पंचायत निगरानी संख्या 28/2016 निर्णय दिनांक 15.06.2016 का भी अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर जो नया निर्माण कार्य किया जा रहा है उसके लिए उन्होनें ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की और अवैद्य रूप से ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर निर्माण किया जा रहा था। इस बाबत् प्रार्थीगण के पास किसी प्रकार का कोई पुश्तैनी कब्जा होने का दस्तावेज नहीं है न ही न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 15.06.2016 के द्वारा प्रार्थीगण को यह हिदायत दी गई कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत आबादी भूमि बाबत् पुश्तैनी कब्जा होने के संबंध में किसी प्रकार को कोई दस्तावेज हो तो वह ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

अतः उपरोक्तत विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर ।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर ।